

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
परिवहन विभाग  
5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली-110054.

दिनांक : 03 / 11 / 2019

अधिसूचना

सं.फा. 23(1549)/सीएपी/परि./पीसीडी/2019/78737- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा आदेश देते हैं कि अधिसूचना संख्या 23(1549)/सीएपी/परि./पीसीडी/2019/1579/78617 दिनांक 01/11/2019 के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

(xxx) इलैक्ट्रीक वाहन;

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

*राजीव*  
3/11/2019  
(राजीव वर्मा)

प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART – IV EXTRA – ORDINARY]  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
TRANSPORT DEPARTMENT  
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI - 110054.

Dated the 03/11/2019

NOTIFICATION

No. 23(1549)/CAP/TPT/PCD/2019/78737 – In exercise of the powers conferred by section 115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby orders that the following entry shall be added in the schedule annexed to the notification number 23(1549)/CAP/TPT/PCD/2019/1579/78617 dated 01/11/2019 :-

(xxx) Electric vehicles;

By order and in the name of  
the Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,

  
3/11/2019

(Rajeev Verma)

Principal Secretary –cum- Commissioner (Transport)